



Dated:- 5/8/23

No. F.14(164)Acad.II/MDSU/2023/ 18450

The Principal,
Dev Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya,
Modi ki Choki, Civil Lines,
Tonk. (Rajasthan) 304001

Sub.- Extension in provisional affiliation for the session 2018-19 to 2021-22.

Dear sir,

With reference to your application for the purpose mentioned in the subject cited above. I am directed to inform you that on the recommendation of the Affiliation Committee, the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant extension in provisional affiliation to your college in the course mentioned below for the academic session along with the seats as mentioned against the said course subject to fulfillment of the conditions mentioned below and overleaf during the session the aforesaid period.

Course	Session	Seats
B.Ed.	2018-19 to 2021-22	100

नोट:- महाविद्यालय को सत्र 2018-19 से 2021-22 तक में 02 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम की उपरोक्त अंकित सीटों की अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि विश्वविद्यालय पत्रांक 6621 दिनांक 28.03.2023 के क्रम में विश्वविद्यालय रसीद सं. 0000162 दिनांक 31.05.2023 के द्वारा आर्थिक दण्ड राशि रु. 2,00,000/- एवं 18 प्रतिशत जीएसटी राशि रु. 36,000/- कुल 2,36,000/- (अक्षरे रु. दो लाख छत्तीस हजार) मात्र विश्वविद्यालय कोष में जमा कराए जाने के पश्चात् निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की गई है, कि महाविद्यालय को 60 दिवस में निम्नानुसार कमियों की पूर्ति कर प्रमाणिक दस्तावेज विश्वविद्यालय को भिजवाना अनिवार्य है, अन्यथा आगामी सत्र में प्रवेश पर रोक रहेगी:-

सत्र 2018-19:-

1. उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नियुक्त अन्य शिक्षक नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं। अतः एनसीटीई के निर्धारित मानदण्डानुसार शिक्षक नेट/सेट उत्तीर्ण नहीं होने के कारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2017 के प्रावधानानुसार नेट/सेट नहीं होने के आधार पर निर्धारित योग्यताधारी नहीं है।
2. महाविद्यालय ने पुस्तकालय हेतु सत्र 2018-19 में खरीद की गई पुस्तकों के बिलों की छाया प्रति एवं परिग्रहण रजिस्टर की छाया प्रति प्रस्तुत नहीं की है।
3. महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप 4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(31)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में बी.एड. महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।
4. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2018-19 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी के नियमानुसार कालांश व उपस्थिति सुनिश्चित करें।

सत्र 2019-20:-

1. उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नियुक्त अन्य शिक्षक नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं। अतः एनसीटीई के निर्धारित मानदण्डानुसार शिक्षक नेट/सेट उत्तीर्ण नहीं होने के कारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2017 के प्रावधानानुसार नेट/सेट नहीं होने के आधार पर निर्धारित योग्यताधारी नहीं है।
2. महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप 4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(31)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में बी.एड. महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।
3. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2019-20 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी के नियमानुसार कालांश व उपस्थिति सुनिश्चित करें।

सत्र 2020-21:-

1. उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नियुक्त अन्य शिक्षक नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं। अतः एनसीटीई के निर्धारित मानदण्डानुसार शिक्षक नेट/सेट उत्तीर्ण नहीं होने के कारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2017 के प्रावधानानुसार नेट/सेट नहीं होने के आधार पर निर्धारित योग्यताधारी नहीं है।
2. महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप 4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(31)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में बी.एड. महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।
3. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2020-21 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी के नियमानुसार कालांश व उपस्थिति सुनिश्चित करें।

सत्र 2021-22:-

1. उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नियुक्त अन्य शिक्षक नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं। अतः एनसीटीई के निर्धारित मानदण्डानुसार शिक्षक नेट/सेट उत्तीर्ण नहीं होने के कारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2017 के प्रावधानानुसार नेट/सेट नहीं होने के आधार पर निर्धारित योग्यताधारी नहीं है।
2. महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप 4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(31)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में बी.एड. महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।
3. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2021-22 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी के नियमानुसार कालांश व उपस्थिति सुनिश्चित करें।

The application for the extension in provisional affiliation for the session 2022-23 along with required fee may be sent together with a report about the fulfillment of the conditions of the provisional affiliation up to 31st Dec. 2021. If already deposited, need not to deposit.

Yours faithfully,


Dy. Registrar (Acad-II)

No. F.14(164)Acad.II/MDSU/2023/ 18451- 466

Dated:- 5/12/23

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Commissioner, College Education, Rajasthan, Jaipur,
2. The Regional Director, N.C.T.E., 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Marg, Jaipur - 302005.
3. The Joint Secretary, Higher Education (Gr.1V) Deptt., Government of Rajasthan, Jaipur.
4. The Director Secondary Education, Rajasthan, Bikaner
5. The C.O.F./C.E., M.D.S. University, Ajmer. C.E. to please ensure that forms of only allotted seats may be accepted.
6. Dr. Neeraj Bhargava, Professor and Web Administrator, MDS University, Ajmer - with the request to please include the aforesaid college on the University Website.
7. The Secretary, Sports Board, MDS University, Ajmer.
8. The Dy. Registrar/S.O.(Exam. Professional)/ Secretary, M.D.S. University, Ajmer.
9. The ACP, MDS University, Ajmer.
10. P.S. to V.C./P.A. to Registrar, M.D.S. University Ajmer.

The provisional Affiliation is subject to the following conditios:-

- I. To follow and observe the University Act, Statutes, Ordinance, Regulations, Rules and Instructions framed, amended adopted and issued from time to time relating to:-
 - a) Admission of only eligible students allotted through Coordinator will be made.
 - b) To follow curricular course of study as prescribed by the University from time to time including scheme of examinations and conduct of examinations.
 - c) Appointment of qualified Teaching/Technical support staff / supporting staff within stipulated period as per the NCTE norms.
- II. (i) Staff Appointment of permanent and qualified Principal and teaching staff on full time basis selected by duly constituted committees as per norms of the NCTE, UGC and the University and appointment will be got approved from the University.
(ii) Building Construction of sufficient building and infrastructure, play ground and hostel building etc. as per the provisions of the NCTE norms.
- III. Library:- As per the norms of NCTE year wise development of college Library and provision of funds for journals and magazine be made. Year wise bifurcation of books purchased details be submitted.
- IV. Endowment Fund:- Sufficient endowment fund as prescribed in rules be credited and University will be supplied a copy of FDR etc in the name of Registrar and Management Committee.
- V. Faculty members:- Appointment of faculty members as per the norms of NCTE be made.
- VI. (a) Number of admission will be restricted to the number of seats allotted by University. No admission over and above the number of seats allotted will be made.
(b) No admissions may be given in the subject(s)/course(s) without obtaining the affiliation in the subject(s)/course(s) concerned.
Non compliance will entail severe action against the college as per the letter no. 31170-313 dated 23-02-2003 and responsibility for the same will be with the college administration.
- VII. In case of any compliance or failure to observe the conditions of the affiliation, the college will be liable for the penalty and action as per the Notification No. 18349 dated 22-05-2012.